संविधान सभा की महिलाएँ

सरोजिनी नायडू

(13 फरवरी 1879 – 2 मार्च 1949 | हैदराबाद, आंध्र प्रदेश)

1914 में, सरोजिनी नायडू इंग्लैंड में गांधीजी से मिलीं; उनके विचारों से बहुत प्रभावित होकर, वह आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो गईं। 1925 में, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सालाना अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। गांधीजी ने शुरू में तय किया था कि दांडी सत्याग्रह में सीधे हिस्सा लेने के बजाय, महिलाओं को घायल सत्याग्रहियों की देखभाल के लिए पीछे रहना चाहिए। यह जानने पर, उन्होंने गांधीजी से कहा, **"हम सत्याग्रहियों की देखभाल ज़रूर करेंगे। लेकिन, हम यहाँ सत्याग्रह में हिस्सा लेने और अपने देश के लिए बलिदान देने आए हैं। हमें उस मकसद से दूर रखना अन्याय होगा।"** आखिरकार, गांधीजी को महिलाओं की माँग माननी पड़ी।

उन्होंने इस बात पर बहुत ज़ोर दिया कि हिंदू-मुस्लिम एकता—साथ ही महिलाओं को पुरुषों के साथ काम करने के बराबर अधिकार देना और उनकी आज़ादी पक्की करना—देश के भविष्य के लिए ज़रूरी शर्तें हैं। बीजापुर में 1918 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने भाषण में, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि **जब भी नागरिकता के अधिकारों पर चर्चा हो, तो 'पुरुष' शब्द के साथ 'महिला' शब्द भी ज़रूर आना चाहिए।** 1946 में, वह बिहार से संविधान सभा के लिए चुनी गईं। उन्होंने भारत के बँटवारे और राष्ट्रीय ध्वज जैसे ज़रूरी मुद्दों पर चर्चाओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। बाद में, उन्हें उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया। हालाँकि शुरू में वह हिचकिचा रही थीं, लेकिन आखिरकार उन्होंने यह पद स्वीकार कर लिया, और कहा, "आप एक जंगली चिड़िया को पिंजरे में डाल रहे हैं।"

दुर्गाबाई देशमुख

(15 जुलाई, 1909 - 9 मई, 1981 | राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश)

जब तक वह वयस्क हुई, तब तक वह सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल हो चुकी थी। 12 साल की उम्र में, उसने देवदासियों के हित का बीड़ा उठाया। 15 साल की होने पर—और शादी के असली मतलब को समझने के बाद—उसने अपने वैवाहिक बंधनों से खुद को आज़ाद करने और अपना जीवन जनसेवा के लिए समर्पित करने का फैसला किया; उन्होंने अपने पति को बताया कि वह एक पारंपरिक पत्नी की भूमिका नहीं निभा पाएगी। फिर कानून की पढ़ाई करने के बाद, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में अपनी आवाज़ उठाई। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। मद्रास में 'नमक सत्याग्रह' के सिलसिले में उन्हें तीन साल की जेल की सज़ा काटनी पड़ी। **जेल व्यवस्था के भीतर कैदियों को 'A', 'B', और 'C' श्रेणियों में बांटने की ऊंच-नीच वाली व्यवस्था ने उन्हें बहुत परेशान किया; उन्होंने जज से गुज़ारिश की कि उनकी अपनी विशेष 'A' श्रेणी की स्थिति को घटाकर 'C' श्रेणी में कर दिया जाए।**

37 साल की उम्र में, वह मद्रास प्रेसीडेंसी से संविधान सभा के लिए चुनी गई। उन्होंने संविधान सभा में नियमित उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी का रिकॉर्ड बनाए रखा। संविधान सभा की कार्यवाही के दौरान उन्होंने लगभग 750 संशोधन प्रस्तावित किए। उन्होंने भाषा, धार्मिक स्वतंत्रता, राज्यसभा की सदस्यता के लिए आयु सीमा, न्यायपालिका की भूमिका, जजों का चयन, और न्यायिक प्रणाली की स्वायत्तता सहित कई विषयों पर संविधान सभा की बहसों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किया। वह हिंदू कोड बिल की कट्टर समर्थक थी, जिसका उद्देश्य बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार देना था। **उन्होंने घरेलू विवादों को सुलझाने के लिए अलग से 'पारिवारिक न्यायालय' (Family Courts) स्थापित करने की वकालत करते हुए एक अभियान का नेतृत्व किया।** इसके बाद, 1984 में—उनके निधन के कई साल बाद—संसद ने ऐसे न्यायालयों की स्थापना को अधिकृत करने वाला कानून पारित किया।

हंसा मेहता

(3 जुलाई, 1897 – 4 अप्रैल, 1995 | सूरत, गुजरात)

पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए लंदन में रहते हुए, हंसाबेन की मुलाकात सरोजिनी नायडू से हुई। सरोजिनी नायडू के प्रभाव से ही वे महिला आंदोलन की ओर आकर्षित हुईं। वे राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के पक्के इरादे के साथ घर लौटीं। **'अखिल भारतीय महिला सम्मेलन' की अध्यक्ष के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने 'महिलाओं के अधिकारों का चार्टर' तैयार किया। इस चार्टर में महिलाओं के जीवन से जुड़े मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। इस चार्टर का महत्व इस बात से रेखांकित होता है कि 'हिंदू कोड बिल' का मसौदा तैयार करते समय यह एक आधारभूत संसाधन के रूप में काम आया।**

1946 में, वे 'बॉम्बे प्रेसीडेंसी' से 'संविधान सभा' के लिए चुनी गईं। उन्होंने जिस एक महत्वपूर्ण मुद्दे की वकालत की, वह था 'पर्सनल लॉ' (निजी कानूनों) को खत्म करना और एक समान, धर्मनिरपेक्ष कानूनी ढांचा लागू करना—विशेष रूप से, एक 'समान नागरिक संहिता' (Uniform Civil Code)। उन्होंने यह सुनिश्चित करने में पूरी सतर्कता बरती कि यह संहिता स्वभाव से प्रगतिशील हो। जैसा कि उन्होंने कहा था: जिस [समान नागरिक] संहिता की हम मांग कर रहे हैं, वह मौजूदा पर्सनल लॉ के बराबर, या उनसे भी आगे होनी चाहिए; अन्यथा, यह एक प्रतिगामी कदम होगा—एक ऐसा कदम जो किसी को भी स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने हिंदू कोड बिल को भी अपना समर्थन दिया। **1947 में, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की 'मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा' में एक बदलाव के लिए सफलतापूर्वक अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप 'सभी पुरुष स्वतंत्र पैदा होते हैं' वाक्यांश को बदलकर अधिक समावेशी शब्दों—'सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं'—में संशोधित किया गया। संविधान के लिखित दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर एक सुनहरी मुहर के समान हैं, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के योगदान को अमिट रूप से अंकित करते हैं।**

राजकुमारी अमृत कौर

(2 फरवरी, 1889 – 2 अक्टूबर, 1964 | लखनऊ, उत्तर प्रदेश)

राजकुमारी अमृत कौर कपूरथला की एक राजकुमारी थीं। इंग्लैंड में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, वह भारत लौट आईं। इसी समय वह महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुईं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, उन्हें भारत की आज़ादी की ज़रूरत का गहरा एहसास हुआ और इसके बाद वह स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गईं। महिलाओं की दुर्दशा से दुखी होकर, उन्होंने 1927 में 'अखिल भारतीय महिला सम्मेलन' की स्थापना की।

संविधान सभा के भीतर कई संवैधानिक प्रावधानों को आकार देने में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। वह सभा की मौलिक अधिकार उप-समिति और अल्पसंख्यक उप-समिति, दोनों की एक प्रमुख सदस्य थीं। **मौलिक अधिकार उप-समिति की बैठकों के दौरान, उन्होंने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता को शामिल किए जाने का विरोध किया। उनके विचार में, ऐसा शामिल करना पर्दा, सती और देवदासी प्रथा जैसी पिछड़ी प्रथाओं को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान कर सकता था। उनका विरोध सफल रहा; एक शर्त पेश की गई जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि धार्मिक पालन की यह स्वतंत्रता, राज्य को सामाजिक सुधार के लिए कानून बनाने से नहीं रोकेगी।** उन्होंने राज्य द्वारा एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) बनाने के पक्ष में मतदान किया; हालाँकि यह प्रस्ताव मतदान प्रक्रिया के दौरान पारित नहीं हो सका, लेकिन बाद में इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल कर लिया गया। **स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) उनकी विरासत का एक जीता-जागता प्रमाण है।** उन्होंने महिलाओं और हरिजनों के उत्थान के लिए काम करने की आवश्यकता पर बहुत ज़ोर दिया, और शिक्षा को मुफ़्त और अनिवार्य बनाने की पुरज़ोर वकालत की।

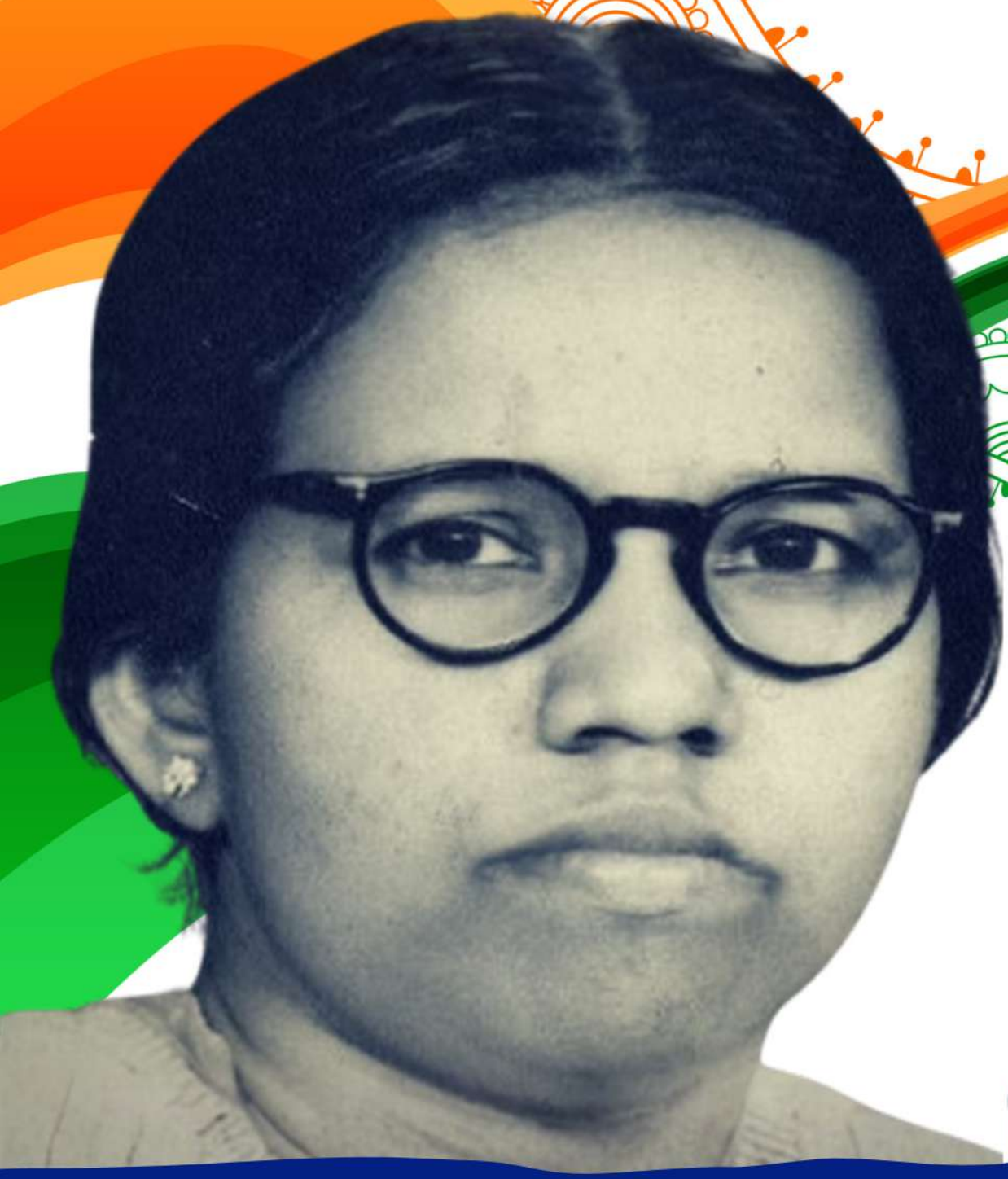

दाक्षायणी वेलायुधन

(4 जुलाई, 1912 – 20 जुलाई, 1978 | एर्नाकुलम, केरल)

34 साल की उम्र में चुनी गईं दक्षायनी, **संविधान सभा में अनुसूचित जातियों से ताल्लुक रखने वाली सबसे कम उम्र की और एकमात्र महिला सदस्य थीं।** उन्हें सभा के भीतर एक स्वतंत्र और सशक्त आवाज़ माना जाता था। वह आम राय के खिलाफ जाने से ज़रा भी नहीं डरती थीं। उन्होंने संविधान सभा में अपनी पहली दमदार बात तब रखी, जब उन्होंने नेहरू द्वारा पेश किए गए 'उद्देश्य प्रस्ताव' पर चल रही बहस में हस्तक्षेप किया। सभा के उद्घाटन सत्र के दौरान, उन्होंने कहा, **'भविष्य में लोग जिस तरह का जीवन जिएंगे, वह इस संविधान पर निर्भर करेगा। मुझे उम्मीद है कि समय के साथ, इस देश में ऐसा कोई भी समुदाय नहीं बचेगा जिसे 'अछूत' का ठप्पा लगा हो।'**

अपने पहले भाषण में, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि संविधान का सबसे अहम काम—सिर्फ़ समुदायों और राज्य के बीच के रिश्तों को नियंत्रित करने से कहीं बढ़कर—पूरे समाज का पुनर्गठन करना है। भारत को किस तरह के संघवाद को अपनाना चाहिए, इस बारे में उनके विचार बहुत स्पष्ट और मज़बूत थे। उन्होंने 1948 के मसौदा संविधान की आलोचना की, क्योंकि उसमें सत्ता के विकेंद्रीकरण की कमी थी और उसने राज्य सरकारों पर केंद्र का बहुत ज़्यादा नियंत्रण स्थापित कर दिया था। उन्होंने यह तर्क दिया कि राज्यों के प्रमुख के तौर पर राज्यपालों की नियुक्ति करने की केंद्र की प्रथा, असल में, राज्यों पर अपना वर्चस्व जमाने के लिए केंद्र की शक्ति को और मज़बूत करने का ही एक ज़रिया थी।

कमला चौधरी

(22 फरवरी, 1908 – 15 अक्टूबर, 1970 | लखनऊ, उत्तर प्रदेश)

उनका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। हालाँकि, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अपने परिवार की कट्टर निष्ठा से खुद को अलग करते हुए, वह राष्ट्रीय समिति में शामिल हो गईं। 1930 में, उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' में भाग लिया। उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा।

यह आरोप लगाया गया था कि हिंदू कोड बिल का वह प्रावधान—जिसके तहत बेटियों को बेटों के बराबर विरासत का अधिकार दिया गया था—पश्चिमी संस्कृति का थोपा जाना था; हालाँकि, उन्होंने इस दावे का पूरी तरह से खंडन किया। वह ज़ोर देकर कहती हैं: **बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा न देना अन्याय है। बेटियों को उनके पैतृक धन-संपत्ति में विरासत का अधिकार देना न केवल समय के अनुरूप है, बल्कि हमारी अपनी मान्यताओं और संस्कृति के भी पूरी तरह से अनुकूल है। हमें इस समझ को खुले दिल से अपनाना चाहिए।** यदि उस समय उठाए गए तर्क—जिनके द्वारा हिंदू कोड बिल के तलाक़, बहुविवाह पर रोक और बेटियों के लिए समान विरासत के अधिकारों से संबंधित प्रावधानों का विरोध किया गया था—आज कोई दोहराए, तो आज की महिलाएँ निस्संदेह गुस्से से भड़क उठेंगी। वह कहती हैं: भारत में तलाक़ कोई नई अवधारणा नहीं है; हमारे पवित्र धर्मग्रंथों ने इसे बहुत पहले से ही मान्यता दी है। हमारे शास्त्र (धर्मग्रंथ) स्पष्ट रूप से उन विशिष्ट परिस्थितियों और प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हैं जिनके तहत अलगाव हो सकता है। यह सच है कि समय बदल गया है। हालाँकि, समय अपने आप स्वतः नहीं बदलता; बल्कि, यह डॉ. अंबेडकर, पं. नेहरू, कमला चौधरी, संविधान सभा की अन्य महिला सदस्यों और इस उद्देश्य को अपना समर्थन देने वाले कई अन्य व्यक्तियों जैसे लोगों के हस्तक्षेप से विकसित हुआ है।

अम्मु स्वामीनाथन

(22 एप्रिल 1894 – 4 एप्रिल 1978 । अन्नाकरा, केरळ)

अम्मू स्वामीनाथन, कैप्टन लक्ष्मी सहगल और मृणालिनी साराभाई की बेटी। जब 14 वर्षीय अम्मू की शादी हो रही थी, तो उन्होंने कुछ शर्तें रखीं, कि वह मद्रास चले जायेंगे। वहां मुझे एक ब्रिटिश शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई थी। तीसरी स्थिति को पचाना हमारे लिए अभी भी मुश्किल है। वह कहती हैं- **मेरे भाइयों से जो सवाल नहीं पूछना जाता वो मुझसे न पूछे। वो सवाल है - "तुम घर कब आओगी?"**

अम्मू स्वामीनाथन ने 1917 में एनी बेसेंट, मार्गरिट, मालती पटवर्धन, श्रीमती के साथ 'महिला भारत संघ' का गठन किया। दादाभाई और अम्बुजमल ने महिला संगठन खड़ा किया। महात्मा गांधी के प्रभाव के कारण उन्होंने स्वयं को स्वतंत्रता संग्राम में झोंक दिया। 1946 में वह मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बनीं। 24 नवंबर 1949 को संविधान के मसौदे को अपनाने पर बहस के दौरान आशावादी और आश्वस्त अम्मू ने कहा, **'बाहर लोग कहते हैं कि भारत ने महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिया है। अब हम कह सकते हैं कि जब भारतीय लोगों ने अपना संविधान बनाया, तो उन्होंने महिलाओं को देश के किसी भी अन्य नागरिक के समान अधिकार दिए हैं।'** अम्मू ने उन्हें किनारे रखा।

एनी मास्कारेन

(4 जुलाई 1912 - 20 जुलाई 1978। एर्नाकुलम, केरल)

वह त्रावणकोर राज्य कांग्रेस में शामिल होने वाली पहली महिला कार्यकर्ता थीं। एनी मैस्करीन का व्यक्तित्व शब्दों में निर्भीक, कार्य में निडर, आक्रामक तीर है। 1938 में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुईं। 1942 के 'भारत छोड़ो' आंदोलन में भी उन्होंने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। 1939 से 1947 के बीच वह कई बार जेल गईं, लेकिन ब्रिटिश पुलिस अधिकारी भी उनसे बचते रहे। वह त्रावणकोर राज्य के एकीकरण के आंदोलन में अग्रणी नेताओं में से एक थीं।

संविधान सभा में चुनाव की चर्चा में भाग लेते हुए वह कहती हैं- **'हम यहां लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को डिजाइन कर रहे हैं। तत्काल चुनाव के लिए नहीं; तो भविष्य के लिए, अगली पीढ़ियों के लिए, देश के लिए। इसलिए, सुविधाजनक क्या है इसके बजाय इस पर विचार करना अधिक उपयोगी होगा कि नैतिक क्या है। मेरे लिए राजनीति एक नैतिक अनिवार्यता है।'** उनका जोर हिंदू कोड बिल पर था। उनका विचार था कि हिंदू कोड बिल इस तरह बनाया जाना चाहिए कि देश की सभी महिलाओं को उनके अधिकार मिल सकें। कानून के गहन अध्येता होने के कारण वे अपनी प्रस्तुति में विश्व के विभिन्न देशों की घटनाओं का उल्लेख करते थे। संघवाद की चर्चा के दौरान उन्होंने 'मजबूत केंद्र' के पक्ष में रुख अपनाया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक, एनी ने संसद में प्रस्तावित निवारक निरोध अधिनियम का जोरदार विरोध किया।

बेगम ऐज़ाज़ रसूल

(2 अप्रैल 1909 - 1 अगस्त 2001। मालेरकोटला, पंजाब)

बेगम ऐज़ाज़ रसूल संविधान समिति में एकमात्र मुस्लिम महिला हैं। उनका जन्म पंजाब के एक गाँव मालेरकोटला में एक धनी जमींदार परिवार में हुआ था, जो अपनी हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। वह मुस्लिम लीग के सदस्य के रूप में संविधान सभा में शामिल हुईं लेकिन बाद में कांग्रेस में शामिल हो गईं। हालाँकि उनका जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ था, फिर भी **उन्होंने जमींदारी उन्मूलन का पुरजोर समर्थन किया** और उन्हें इस कार्य के लिए जाना जाता है। वह संविधान सभा में अल्पसंख्यक अधिकारों पर मसौदा समिति की सदस्य थीं। बैठक में अल्पसंख्यक अधिकारों पर चर्चा के दौरान उन्होंने मुसलमानों के लिए 'स्वतंत्र मतदार संघ' के विचार का कड़ा विरोध किया। उन्होंने धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए प्रस्तावित आरक्षण का भी विरोध किया और बदले में अल्पसंख्यकों के लिए न्याय और समान अधिकारों की मांग की।

इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रभाषा, भारतीय लोकतंत्र और राष्ट्रमंडल, आरक्षण और संपत्ति के अधिकार पर भी अपने विचार व्यक्त किये। उनका विचार था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा माना जाना चाहिए और एक निश्चित अवधि के बाद अल्पसंख्यकों को भी देवनागरी भाषा सीखनी चाहिए। उनकी खेलों में विशेष रुचि थी। **भारतीय महिला हॉकी कप का नाम उनके नाम पर रखा गया है।**

पूर्णिमा बॅनर्जी

(1911 – 1951 । काल्का, पंजाब)

अपनी शिक्षा पूरी करके भारत लौटने के बाद, उन्होंने खुद को राष्ट्रीय आंदोलन और महिला आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। वह ट्रेड यूनियनों, किसान परिषदों को संगठित करने और ग्रामीण लोगों को दिशा देने के की जिम्मेदारी उनकी थी। वह 'समान नागरिक संहिता' शब्द का विरोध करते हुए संविधान सभा हॉल से बाहर निकल गए। 'कॉमन सिविल कोड' शब्दों पर जोर दिया। **संविधान समिति में महिलाओं के संबंध में नीति तय होगी तो बात बनेगी, अन्यथा कानून बनते-बदलते रहेंगे।** 'हम भारत के लोग' के पीछे का दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए वह कहती हैं कि संविधान का निर्माण इस मिट्टी के लोगों के श्रम से हुआ है, न कि विदेशी शासकों द्वारा।

संविधान हमें क्या देता है? इस सवाल पर पूर्णिमा बनर्जी का जवाब था, 'संविधान सामाजिक संरचना को बदलने का साधन प्रदान करता है।' 24 जनवरी 1950 को 'जन गण मन' को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। उस समय पूर्णिमा बनर्जी उस समूह की नेता थीं जिसने हॉल में राष्ट्रगान गाया था। **धर्मनिरपेक्षता पर उनके विचारों को समझना बहुत ज्ञानवर्धक है। भारत की धर्मनिरपेक्षता अलग तरह की है। वह धर्म को अस्वीकार नहीं करती। अतः यह सभी धर्मों में रुचि रखना सिखाता है।** पूर्णिमा बनर्जी विभाजन के धार्मिक घृणा रक्तपात की पृष्ठभूमि में यह राय व्यक्त कर रही थीं, **'हमारा शैक्षणिक पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो देश की विविधता का सम्मान करे, विभिन्न मतों का सम्मान करे और स्वस्थ नागरिकों का निर्माण करे।'**

रेणुका रे

(4 जनवरी 1904 - 1997, पश्चिम बंगाल)

16 साल की उम्र में गांधीजी से मिलने के बाद रेणुका रे की जिंदगी में काफी बदलाव आया। 1934 में वह 'अखिल भारतीय महिला परिषद' की सदस्य बनीं। 1943 से 1946 तक वह केंद्रीय विधान सभा, संविधान सभा और अनंतिम संसद की सदस्य रहीं। 1934 में अखिल भारतीय महिला परिषद में काम करते हुए उन्होंने भारतीय महिलाओं की स्थिति पर महत्वपूर्ण अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि भारतीय महिलाएं दुनिया में सबसे शोषित स्थिति में हैं।

उन्होंने महिलाओं और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए लगातार काम किया। उन्होंने मांग की कि इसके लिए एक अलग आयोग होना चाहिए। वह योजना आयोग की सदस्य भी बनीं। वह हिंदू कोड बिल के पक्ष में डटी रहीं। बाद में पहली लोकसभा में इसे चरणों में मंजूरी दी गई। उस वक्त रेणुका पी। बंगाल सरकार में मंत्री थीं। **संसद ने सामाजिक कल्याण और पिछड़े वर्ग कल्याण का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की। वह इसकी अध्यक्ष थीं। इस समिति को 'रेणुका रे समिति' के नाम से जाना जाता है।** इस समिति ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये। 1970 में गांधी युग की अपनी यादों को याद करते हुए वह लिखती हैं, **'अगर मैं अभी जवान होती और गांधीजी जैसे लोगों द्वारा निर्देशित नहीं होती, तो शायद मैं नक्सलियों में शामिल हो गई होती।'**

विजयालक्ष्मी पंडित

(18 अगस्त 1900 - 1 दिसंबर 1990। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश)

विजयलक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन। उनका राजनीतिक जीवन गांधीजी के विचारों से प्रेरित था और असहयोग आंदोलन से शुरू हुआ था। 1932 से 1933, 1940 और 1942 से 1943 में अंग्रेजों ने उन्हें तीन अलग-अलग जेलों में रखा। वह नेहरू के साथ राजनीति में सक्रिय थीं।

1946 में वे संविधान सभा के लिए चुने गए। वहां उन्होंने महिलाओं की समानता के मुद्दों पर अपनी राय रखी और काम करवाए। **महिलाओं को अपने पति और पिता की संपत्ति विरासत में मिलनी चाहिए। यह एक बड़ी चुनौती है और इसका मुकाबला पुरुष और महिलाएं मिलकर ही कर सकते हैं।** विजयलक्ष्मी को लंबे समय तक विदेश में रहना पड़ा क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का पक्ष रखने की ज़िम्मेदारी उन पर आ गई। उन्होंने मॉस्को, मैक्सिको और वाशिंगटन में राजदूत के रूप में कार्य किया। **1953 में वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनीं।** एक साल बाद, उन्होंने इंग्लैंड और आयरलैंड में एक साथ राजदूत के रूप में कार्य किया। वह 1964 से 1968 तक लोकसभा में सांसद रहीं। उसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। **लेकिन जब देश में आपातकाल लगाया गया तो उन्होंने खुलकर अपनी भतीजी इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया।**

सुचेता कृपलानी

(25 जून 1908 – 1 दिसम्बर 1974 | अम्बाला, हरियाणा)

सुचेता कृपलानी स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं। वह स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय नेता थीं। इसके लिए उन्होंने कई बार जेल की सज़ा भी काटी है। 'भारत छोड़ो' आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने सभी पुरुष नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, उनका रुख था कि **अगर मैं भी बाकियों की तरह जेल चली जाऊंगी तो आंदोलन को आगे कौन बढ़ाएगा? अतः वे 1942 से 1944 तक भूमिगत रहकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए आन्दोलनरत रहे।**

1947 के अप्रैल महीने में वे संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के लिए चुने गये। आजादी के बाद जब विभाजन के दंगे भड़क उठे, तो उन्होंने जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए महात्मा गांधी के साथ काम किया। हालाँकि, वे संविधान सभा के कार्य में पर्याप्त भाग नहीं ले सके क्योंकि वे विभाजन के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास में व्यस्त थे। हालाँकि, उन्होंने हिंदू कोड बिल का पुरजोर समर्थन किया।

वह समान नागरिक संहिता की भी समर्थक थीं। वह महिलाओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील थीं। उन्होंने भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। आजादी के बाद वे सक्रिय राजनीति में आये। 1940 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना हुई। **सुचेता कृपलानीजी को देश की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है।**

लीला रॉय

(2 अक्टूबर, 1900 - 11 जून, 1970, गोलपाड़ा, असम)

लीला रॉय के पिता स्वतंत्रता आंदोलन के शुभचिंतक थे। 1923 में, अपने दोस्तों के साथ, उन्होंने विद्रोही समूह 'दिपाली' की स्थापना की; जहां राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। 1926 में उन्होंने ढाका और कलकत्ता में भी छात्राओं के छत्री संघ की स्थापना की। 1937 में, वह कांग्रेस में शामिल हो गईं और बंगाल महिला प्रांतीय कांग्रेस की स्थापना की।

लीला रॉय को संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया। कुछ समय में आजादी तो मिलेगी लेकिन देश का बंटवारा होना तय है। उनका पैतृक गांव ढाका पाकिस्तान जा रहा था। इससे वह बहुत परेशान हो गयी। उन्होंने विभाजन के विरोध में संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने विभाजन के बाद हुई भयानक उथल-पुथल में फंसे लोगों के लिए राहत का काम शुरू किया। **नोआखली में दंगों को दबाने में वह गांधीजी के साथ भी शामिल थीं। 1947 में, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान, उन्होंने एक नाव दंगे में फंसी 400 महिलाओं को बचाया।** इसके बाद वह सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक की सदस्य बन गईं। उन्होंने साबित कर दिया कि लैंगिक सामाजिक-राजनीतिक कार्यों में महिलाएं पुरुषों से कहीं भी कम नहीं हैं।

मालती चौधरी

(26 जुलाई 1904 - 15 मार्च 1998 | कलकत्ता, पश्चिम बंगाल)

गांधीजी के विचारों से प्रभावित होकर वह अपने पति के साथ नमक सत्याग्रह में शामिल हो गईं। जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, तो उन दोनों ने जेल में कैदियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आंदोलन आम लोगों तक पहुंचे और वे भी इसमें शामिल हों, इसके लिए वे आम लोगों से लगातार संवाद करते रहते थे। यदि गांधीजी कुछ गलत करते तो मालती उनसे दो टूक कह देतीं, **"बापू, आपने यह ठीक नहीं किया।"** और जैसे ही गांधीजी को अपनी गलती का एहसास होता था, वे माफी मांगने के लिए उनके सामने खड़े हो जाते थे।

संविधान सभा में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण विकास के लिए वयस्क शिक्षा आवश्यक है और आदिवासियों तथा अनुसूचित जाति-जनजाति के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। वे संविधान निर्माण में मौलिक रूप से भाग नहीं ले सकेंगे। उन्हें समझ आया कि उनकी उपयोगिता वास्तविक जन-आंदोलनों में अधिक है। उन्होंने तुरंत संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया और विभाजन के फैसले के कारण हुए दंगों को दबाने के लिए नोआखाली में प्रवेश किया। गांधी नोआखाली में ठहरे हुए थे। पहले तो उन्होंने मालती चौधरी को वहां आने से मना किया। उन्होंने बताया- **'यहां हालात बेहद संवेदनशील हैं। डर है कि बाहर से कोई आए तो शायद हालात अधिक बिगड़ जाएंगे। क्षमा करें, आप जहां हैं वहीं रहें। यही नोआखाली की मदद करेगा।'** लेकिन थोड़े इंतजार के बाद मालती नोआखाली पहुंच गयी। वहां उनके काम की गति देखकर गांधीजी स्वयं उनका वर्णन करते हैं- 'आंधी...!'